कार्यालयः जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार।

दिनांक : 22.03.2025

पत्रांकः 261 /विभा.वेब./2025

सेवा में,

जिला सेवायोजन अधिकारी,

ऊधमसिंह नगर।

विषय– विभागय वेबसाईट को "S3Wass" प्लेटफार्म पर तैयार किए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक विभा.वेब./2024–25/259–60 दिनांक 06.03.2025 के कम में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र हरिद्वार की सूचना निम्नवत आपको सादर प्रेषित है।

1. केन्द्र की स्थापना किए जाने का शासनादेश की छायाप्रति संलग्नक।
2. पदों की स्थिति (स्वीकृत/भरे/रिक्त)।

क्र0सं0	कार्यलय का नाम	स्वी0 पद का नाम	स्वी0 पदों की संख्या	भरे पद	रिक्त पद	अधिकारी/कार्मिक का नाम	मूल पद	आउटसोर्स उपनल/पी0आर0डी0
				6	7	8	14	20
1	2	4	5					
1.	शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, हरिद्वार।	सहायक सेवायोजन अधिकारी	1	–	1	–	–	–
2.		अनुदेशक कम्प्यूटर	–	–	–	–	–	–
3.		अनुदेशक सचिवीय पद्धति	1	–	1	–	–	–
4.		अनुदेशक भाषा	1	–	1	–	–	–
5.		अनुदेशक आशुलिपिक	1	–	1	–	–	–
6.		प्रवर सहायक	1	1	–	श्रीमती सोनिया देवी	कनिष्ठ सहायक	–
7.		अनुसेवक सह वाहन चालक	1	–	1	–	अनुसेवक सह वाहन चालक	श्री अभिषेक कुमार

3. वर्तमान में संचालित प्रशिक्षण (आशुलिपि,टंकण,कम्प्यूटर)पाठ्यकम सहित की सूचना शून्य।
4. विगत पांच वर्षो प्रवेशित तथा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूचना–शून्य।
5. विगत् पॉच वर्षों में सत्रवार प्रशिक्षण की स्थिति।

क्र0सं0	प्रशिक्षण सत्र	प्रवेशित अभ्यर्थी वर्गवार		उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी वर्गवार	
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
1.	2020–21	–	–	–	–
2.	2021–22	–	–	–	–
3.	2022–23	–	–	–	–
4.	2023–24	–	–	–	–
5.	2024–25	–	–	–	–

6. सेवायोजित अभ्यर्थियों का विवरण–शून्य।
7. अधिकतम 05 फोटोग्राफ–शून्य।
8. केद्र को आधुनिक एवं अपग्रेड किए जाने हेतु सुझाव–अनुदेशकों/कार्मिकों के पदों के सापेक्ष पर्याप्त नियुक्ति करने के साथ–साथ समुचित बजट आवटन किया जाना प्रार्थनीय है।

भवदीय

22.03.25

जिला सेवायोजन अधिकारी,

हरिद्वार।

संख्या: 946/VIII/08-सेवा/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

A.O.

देहरादून : दिनांक: 17 दिसम्बर, 2005

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

विषय: वित्तीय वर्ष 2005-06 हेतु आयोजनागत पक्ष में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अधीन जनपद बागेश्वर/हरिद्वार/टिहरी में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व में स्थापित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों अल्मोड़ा/उत्तरकाशी/खटीमा में कम्पयूटर प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने हेतु रूपये 35.25 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 3517/डीटीईयू/सेवा/एसएनडी/2005, दिनांक: 31.05.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि आपके प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष-2005-06 हेतु आयोजनागत पक्ष में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अधीन जनपद बागेश्वर/हरिद्वार/टिहरी में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व में स्थापित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों अल्मोड़ा/उत्तरकाशी/खटीमा में कम्पयूटर प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने हेतु संलग्न विवरणानुसार रूपये 35.25 लाख (रूपये पैंतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किए जाने तथा निम्नांकित पदों को सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	सहायक सेवायोजन अधिकारी	03	6500-10500
2.	अनुदेशक कम्पयूटर	03	4500-7000
3.	अनुदेशक सचिवीय पद्धति	03	4500-7000
4.	अनुदेशक भाषा	03	4500-7000
5.	अनुदेशक आशुलिपिक	03	4500-7000
6.	कनिष्ठ सहायक	03	3050-4590
7.	अनुसेवक	03	2550-3200
	योग:	21	

2- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही

किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएसएण्डडी, की दरों अथवा शर्तें, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

4– उक्त धनराशि से कराये जा रहे कार्यों/क्रय किये जा रहे उपकरणों का मदवार/धनराशिवार विवरण शासन को दिनांक 31.03.2006 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2006 तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा और क्रय की जा रही धनराशि का मदवार/धनराशिवार व्यय विवरण शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अनुदान संख्या–30 मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार, 02–रोजगार सेवाएँ–आयोजनागत, 800–अन्य व्यय, 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 02–शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना के सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: यू0ओ0 77/वि0अनु0–5/2005, दिनांक 06.12.2005 के अर्न्तगत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 946(1)/VIII/08–सेवा/ 2005 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी ।
3– वित्त अनुभाग–5
4– एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
5– नियोजन विभाग।
6– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्याः 947/VIII/09-सेवा/ 2005, दिनांकः 19 नवम्बर, 2005 का संलग्नक :-

आयोजनागत | अनुदान संख्याः 31 | धनराशि हजार रूपये में

मुख्य लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार
02-रोजगार सेवायें
796-ट्राईबल सब प्लान
01-शिक्षण/मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना।

क0सं0	कोड/मद	आंबटित धनराशि
1.	08-कार्यालय व्यय	30
2.	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10
3.	12-कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	100
4.	17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	10
5.	26-मशीनें साज-सज्जा/उपकरण व संयत्र	100
6.	46-कम्पयूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का कय	230
7.	47-कम्पयूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी कय	20
	योग :	500

(रूपये पाँच लाख मात्र)

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)

सेवा में,

जिला सेवायोजन अधिकारी,
बागेश्वर/हरिद्वार/नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)

118-124

पत्रांक: डीटीईयू/स्था0सेवायो0/168/सीसीजीसी/05/ दिनांक: 9 जनवरी, 2006

विषय: वित्तीय वर्ष 2005-06 में सेवायोजन प्रखण्ड के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनैण्ट प्लान के अधीन जनपद बागेश्वर/हरिद्वार/टिहरी में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व में स्थापित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन अल्मोड़ा / उत्तरकाशी/ खटीमा में शिक्षण प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के पत्र संख्या 946/Viii/08-सेवा/2005 दिनांक: 19 दिसम्बर, 2005 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा स्पेशल कम्पोनैण्ट प्लान के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर/हरिद्वार/टिहरी मे शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में शीघ्र उचित भवन की तलाश करें तथा नियमानुसार भवन किराये का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु निदेशालय को प्रेषित करें।

संलग्न- यथोक्त
शासनादेश

भवदीय,
(पी0एस0गुसांई)
निदेशक

पृष्ठांकन: डीटीईयू/स्था0सेवायो0/168/सीसीजीसी/05/ तद् दिनांकित।
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (शासनादेश की छाया प्रति के साथ)

1. क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून /अल्मोड़ा।
2. जिला सेवायोजन अधिकारी, उत्तरकाशी/ऊधमसिंहनगर।

(पी0एस0गुसांई)
निदेशक

05
16/1/06